

2025/555

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

केचन

बनाम

राज ठ सरकार

किस्म मुकदमा-136 एल.आर.ए.

मोनं- 142/2025

पीठासीन अधिकारी- डॉ० नवनीत कुमार (आर०ए०एस०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/11/25	<p>प्रकरण जरिए तहसीलदार <u>सिक-दरा</u> द्वारा इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी की भूमि आराजी खाता संख्या/खसरा संख्या <u>504, 505, 665</u></p> <p>.....वाके ग्राम <u>कलिडा</u></p> <p>.....में स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में <u>केचन पुत्र रामसहाय</u></p> <p>.....दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम <u>केचन पुत्र रामकुमार</u></p> <p>.....है। इसलिए उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि की जावे। तहसीलदार द्वारा पेश प्रकरण के अवलोकन तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम <u>केचन पुत्र रामसहाय</u></p> <p>.....के स्थान पर सही नाम <u>केचन पुत्र रामकुमार</u></p> <p>.....दर्ज करने के आदेश तहसीलदार को दिए जाते हैं। तहसीलदार उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।</p> <p>निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा